



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या:
प्लेक्स/सर्किल/163

15/05/2025

प्रति,
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: यूपीवीसी पाइप के लिए ड्राफ्ट सॉल्वेंट सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 और ड्राफ्ट सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 पर हितधारक परामर्श बैठक -रेग।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हितधारक परामर्श **21 मई 2025** को श्री संजीव, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में निर्धारित है, जिसमें निम्नलिखित उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाएगी:

- यूपीवीसी पाइप के लिए सॉल्वेंट सीमेंट (क्यूसीओ), 2025
- सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव (क्यूसीओ), 2025

आपके संदर्भ के लिए ड्राफ्ट ऑर्डर की प्रति संलग्न है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उत्पादों पर क्यूसीओ के कार्यान्वयन पर अपनी टिप्पणियाँ 16 मई 2025 (दोपहर 12:00 बजे) तक भेजें।

अनुलग्नक खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद